यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, काशीपुर जोन, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अपर/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, काशीपुर जोन, काशीपुर के माह 09/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.03.2019 से 06.03.2019 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ....-................ सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक ....-........... से ....-......... तक श्री ....-........... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमे राजस्व हेतु माह ....-............. से ....-......... तक लेखा अभिलेखो का निरीक्षण किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह ......-.............. से ....-........... तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** काशीपुर, नैनीताल, रामनगर, अल्मोडा, बागेश्वर
2. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (वा0कर,) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे)**
2015-16	संयुक्त आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2016-17	
2017-18	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना		गैर स्थापना	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		आवंटन	व्यय			
	शून्य					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, काशीपुर जोन, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ....-....... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ....-...... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर-:1(अ) कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण विभागीय पत्रों का रख-रखाव प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जाना।

Office Procedure Manual के अनुसार विभाग/कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्रवाई के साक्ष्य स्वरूप डायरी, डिस्पैच रजिस्टर, कार्रवाई पत्रावलियाँ, इंडेक्स रजिस्टर,गार्ड फाइल आदि का रख-रखाव किए जाने का प्रावधान है। यदि किसी पत्र का उत्तर प्रेषित किया जाता है तो डिस्पैच संख्या एवं दिनांक संबन्धित पत्र के सम्मुख अंकित की जानी चाहिए। यदि पत्र में कोई कार्रवाई नहीं की जानी है तो कारण सहित कार्रवाई नहीं की जानी है अत: पत्र पत्रावली में नत्थी किया जाता है' की टिप्पणी के साथ अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। अधिकारी के seen/यथादेशित करने के उपरांत पत्र को पत्रावली में नत्थी कर दिया जाना अपेक्षित रहता है।

कार्यालय अपर आयुक्त ,काशीपुर के प्राप्ति रजिस्टर की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि प्राप्त हुए पत्रों को न तो नत्थी किया गया था न ही पत्रों पर की गयी कोई कारवाई रजिस्टर में अंकित थी । नमूना स्वरूप कुछ पत्र इस प्रकार हैं-

2015-16

क्रम संख्या	पत्र संख्या	पत्र शीर्षक
1	3263/24.09.15	चीनी पर प्रवेश कर बकाया के संबंध में।
2	1815/16.10.15	बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी के पकड़े गए परचून के वाहन का भौतिक सत्यापन के संबंध में।
3	असि॰कमि॰ वा. का. काशीपुर 1861/30.10.15	राज्य के भीतर अवैध /तस्करी के माध्यम से पटाखे लाये जाने के कारण विशेष चेकिंग अभियान चलाने के संबंध में।
4	4127/18.11.15	निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम कर प्राप्त करने के संबंध में।

5	आयुक्त कर,उत्तराखंड (विधि अनु॰)देहरादून 4391/04.12.15	उपखनिजों के संबंध में सीजन वर्ष 2013-14 के लिए लागू समाधान योजना को विस्तारित किए जाने के संबंध में।
6	ज्वाइंट कमि(कार्य/प्र.)वाणिज्य कर ,काशीपुर 2596/27.02.16	25 लाख से बड़े बकायेदारों की सूचना दिनांक 29.02.16 तक उपलब्ध करने के संबंध में।

2016-17

क्रम संख्या	पत्र संख्या	पत्र शीर्षक
1	असि कमि॰ वा कर ,नैनीताल 749(i)/29.04.16	देशी विदेशी शराब की बिक्री पर 2% वाणिज्य कर उपकार देय के संबंध में।
2	आयुक्त कर उत्तराखंड देहरादून 6172/31.03.16	भीतरी प्रांत से किसी भी रूप में लाया सोना जिसमें परिष्कृत कर या आभूषण के निर्माण की मूल्य पर लगाने की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।
3	ज्वाइंट कमि(कार्य/प्र)वाणिज्य कर ,बाजपुर संभाग 39/06.04.16	जिला आबकारी अधिकारी से तत्काल व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर अपने अधिकार क्षेत्र के शराब के ठेके धारकों के नाम /दुकान न0/पूर्ण पता अन्य समस्त जानकारी प्राप्त करते हुये पंजीयन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करने के संबंध में।
4	86/25.05.16	कार्यालय के वाहन से नियमित चेकिंग के दौरान माल से लदा हुआ एक संदिग्ध वाहन के पीछा करने के दौरान हुई दुर्घटना के संबंध में।

5	498/06.07.16	वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन के उपरांत काशीपुर परिक्षेत्र ,बकाया के माह वर्ष 2016 से संबन्धित विवरण की सूचना।
6	आयुक्त कर उत्तराखंड देहरादून 3295/25.08.16	सर्वश्री सत्यम इण्टरप्राइजेज़ के वर्ष 2007-08 के वाद के निस्तारण में श्री निशिकांत सिंह तत्कालीन असि॰कमि॰ द्वारा बरती गयी अनियमितता के संबंध में।

2017-18

क्रम संख्या	पत्र संख्या	पत्र शीर्षक
1	आयुक्त कर उत्तराखंड प्रव अनुभाग 303/20.04.17	खनन में हो रहे करापवंचन पर प्रभावी रोक लगाए जाने के संबंध में बनाए गए माइनिंग (गूगल एप)से संबन्धित।
2	आयुक्त कर उत्तराखंड ऑडिट अनुभाग देहरादून 1509/28.06.17	विज्ञप्ति में उलिखित शर्तों का अनुपालन न करने कर का न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹2.25 करोड़ से संबंधी।
3	आयुक्त कर उत्तराखंड विधि अनुभाग देहरादून 2932/16.09.17	GSTR-3B विवरणी दाखिल करने में असफल रहे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों हेतु विलंब शुल्क का अधित्यजन से संबन्धित।
4	आयुक्त कर उत्तराखंड संपत्ति अनुभाग देहरादून 4951/17.01.18	अधिकारियों को आवंटित वाहनों का विवरण निर्धारित प्रारूप ।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर अपर आयुक्त दवारा टिप्पणी की गयी कि "प्राप्ति प्रेषण पंजी में दर्ज उपरोक्त समस्त पत्र व्योहार पत्रावलियाँ अभिलेखों में रखी गयी हैं। इंडेक्स पंजी नहीं बनाई गयी है। लेखापरीक्षा को उक्त पत्रावलियों की कार्यवाही/साक्ष्य से अवगत करना अपेक्षित नहीं हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत के नियन्त्रण महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 18(1)(ग) के अनुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से एसे प्रश्न पूछे या ऐसी टीका-टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उसे किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उसका कर्त्तव्य है। एवं धारा 18 (2) के अनुसार कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जानकारी के लिए किये गये अनुरोधों की यथासम्भव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूर्ति करेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-:1(ब) कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण विभागीय पत्रों का रख-रखाव प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जाना।

Office Procedure Manual के अनुसार विभाग/कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्रवाई के साक्ष्य स्वरूप डायरी, डिस्पैच रजिस्टर, कार्रवाई पत्रवालियाँ, इंडेक्स रजिस्टर,गार्ड फाइल आदि का रख-रखाव किए जाने का प्रावधान है। यदि किसी पत्र का उत्तर प्रेषित किया जाता है तो डिस्पैच संख्या एवं दिनांक संबन्धित पत्र के सम्मुख अंकित की जानी चाहिए। यदि पत्र में कोई कार्रवाई नहीं की जानी है तो कारण सहित 'कार्रवाई नहीं की जानी है अत: पत्र पत्रावली में नत्थी किया जाता है' की टिप्पणी के साथ अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। अधिकारी के seen/यथादेशित करने के उपरांत पत्र को पत्रावली में नत्थी कर दिया जाना अपेक्षित रहता है।

कार्यालय अपर आयुक्त ,हल्द्वानी सम्भाग हल्दवानी के प्राप्ति रजिस्टर की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि प्राप्त हुए पत्रों को न तो नत्थी किया गया था न ही पत्रों पर की गयी कोई कारवाई रजिस्टर में अंकित थी । नमूना स्वरूप कुछ पत्र इस प्रकार हैं-

2015-16

क्रम संख्या	पत्रांक एवं दिनांक	पत्र शीर्षक
1	5/डी॰सी॰क॰नि॰ -2 04/04/15	प्रवेश कर डीजल व पेट्रोल पर प्राप्त कर की सूचना।
2	145/डी॰सी॰क॰नि॰ -2,काशीपुर 26.05.15	संवेदनशील वस्तुओं के व्यापारियों के संबंध में।
3	183/डी॰सी॰क॰नि॰ -	प्राकृतिक गैस ,मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल मिश्रित बायो फ्युल

	3/05.06.15	या डीजल से संबन्धित सूचना।
4	231/डी॰सी॰क॰नि॰ - 3/02.07.15	डायरेक्टर जनरल भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,राजस्व विभाग,केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा बोगस बिलों से आई॰टी॰ सी॰ के संन्ध में सूचना।
5	238/असि॰कमि नैनीताल 04.08.15	हुक्का तंबाकू को छोडकर अनिर्मित तंबाकू बीड़ी और बीड़ी के उत्पाद में प्रयुक्त तंबाकू तथा अन्य की सूचना।

2016-17

क्रम संख्या	पत्र संख्या	पत्र शीर्षक
1	असि कमि॰वा कर टनकपुर 118/05.06.16	रिफंड से संबन्धित विवरण।
2	आयुक्त कर (विधि अनुभाग)उ॰देहरा॰ 3034/08.08.16	आयरन एवं स्टील एवं खाद्य तेलों का परिवहन करने वाले ट्रांसपोटरों को लौरी चालान बनवाने से संबन्धित।
3	जिला अधिकारी अल्मोड़ा 7269/30.07.16	बिक्रीकर विभाग के अधिकारी श्री अनिल चौधरी द्वारा अनावश्यक रूप से व्यापारियों के उत्पीड़न के संबंध में।
4	366/ डी॰सी॰क॰नि॰ - 5,काशीपुर,08.08.16	माहवार शराब पर प्राप्त कर का विवरण।
5	143/असि कमि॰वा कर स॰द॰बी॰काशीपुर 08.08.16	वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन के उपरांत काशीपुर परिक्षेत्र ,बकाया के माह वर्ष 2016 से संबन्धित विवरण की सूचना।

2017-18

क्रम संख्या	**पत्र संख्या**	**पत्र शीर्षक**
1	23/डी॰सी॰क॰नि॰ -2 काशीपुर 04.05.17	उपकर से संबन्धित जमा कर का विवरण।
2	21/डी॰सी॰क॰नि॰ -2 काशीपुर 04.05.17	होटलों की संख्या एवं होटलों के अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाले कर का विवरण।
3	Officeofthecomm.ऑफ commercialtaxenforcementTelangana,420/04.11.17	Verification of c and f forms
4	असि कमि॰वा कर-2,हल्द्वानी,283/13.06.17	बकाया का विवरण।
5	130/डी॰सी॰क॰नि॰ -2,हल्द्वानी/06/12/17	03 वर्षों का संग्रह ,बकाया,करापवंचन,माफ की गयी धनराशि,कर निर्धारण इत्यादि की सूचना।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर इकाई दवारा टिप्पणी की गयी कि “सूचना से संप्रेक्षा दल को अवगत करा दिया जाएगा“। अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संग्यान में लाए जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग.दो "ब"

प्रस्तर. 2 :–आन्तरिक नियंत्रण दायित्व की अनदेखी के परिणाम स्वरुप निप्रयोज्य वाहनों के निस्तारण होने में विलम्ब।

वित्तीय प्रावधानोंके अनुसार निप्रयोज्य सामग्री,निप्रयोज्य होने के बाद उसका यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जाना चाहिये जिससे उसके क्षरण से होने वाली क्षति से बचा जा सके। संयुक्त आयुक्त,(कार्यपालक), राज्य कर **हल्द्वानी** संभाग **हल्द्वानी** द्वारा आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित पत्रांक/पृष्ठांकन सं0 1364 दिनॉक 15.09.2018 के अनुसार कुल पन्द्रह वाहन निप्रयोज्य थे,जिनका निस्तारण अबतक नही किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान नीचे दिये गये प्रारुप में इन वाहनों के संबन्ध में उक्त कार्यालय द्वारा इसके लिये रखे गये अभिलेख निप्रयोज्य **तिथि तथा** कृत कार्यवाही की सूचना मॉगी गयी थी,ताकि ये जाना जा सके कि उल्लिखित वाहन कब से निप्रयोज्य पडें है। वाहन **संख्या** यूके06डी 7835 सूमो, यूके06बी0477 महेन्द्रा, यूके06सी 4559स्पेशियों, यूके06एच 6502 विक्टा, यूके06जीए, 1703 वोलरो, यूके06 जीए0081सूमों, यूए04ई7372 2007, यूपी 25/2104 1989, यूए 04ए 2444 जिप्सी, यूके4सीए 0057, यूए06ई 3831 जि*प्सी 2005, यूए 07टी 2001 एम्बेसडर, यू0ए07बी 2345एम्बेसडर, यूए07ई3359एम्बेसडर, यूके07–क्यू 2052,* **के सम्बन्ध में** संभाग द्वारा कोई अभिलेख नही उपलब्ध कराये गये,वरन यह टिप्पणी की गयी कि यह कार्य आहरण वितरण स्तर पर देखा जाता है।

संभाग का यह उत्तर लेखापरीक्षा को इस आधार पर अमान्य है,क्योंकि आन्तरिक नियत्रण का दायित्व संभाग का होता है,जिसके साक्ष्य स्वरुप निप्रयोंज्य वाहनों के लिये आयुक्त कर को प्रेषित संभाग का पत्र संलग्न है। अतः आन्तरिक नियंत्रण के दायित्व की अनदेखी के परिणाम स्वरुप संप्रेक्षा **तिथि** तक उल्लिखित पन्द्रह वाहनों का निस्तारण लेखापरीक्षा **तिथि** तक नही किया गया,

अतः प्रस्तर उच्चाधिकारी के संज्ञान में **लाया जाता** है।

भाग.दो "ब"

प्रस्तर.03 :– निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व संग्रह में माहवार कमी (–)13.49 से 17.99 लाख रुपये।

संयुक्त आयुक्त,(कार्यपालक), राज्यकर, **हल्द्वानी** जोन **हल्द्वानी** के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान आन्तरिक नियंत्रण की जॉच के लिये विगत पॉच वर्षो का लक्ष्य के सापेक्ष संग्रह का विवरण मॉगा गया जिसे विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराया गया। **प्राप्त कम्प्यूटराइज डाटाशीट के अनुसार** लक्ष्य के सापेक्ष अप्रैल 2017 में (–) 13.49 लाख, मई 2017 (–) 17.85 लाख, जून 2017 में (–) 17.99,जुलाई 2017 में (–) 16.53 लाख में कमी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर संभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि " विभाग द्वारा संग्रह एवं लक्ष्य का रखरखाव किया जाता है। लेखापरीक्षा ज्ञाप 836/96 में मॉगी गयी सूचना इस कारण बाद में प्रेषित की जायेगी क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी तीन दिन की ट्रेनिंग में देहरादून गये हुये है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	प्रथम लेखापरीक्षा	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय अपर/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, काशीपुर जोन, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: डी
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री बी.एस.नगन्याल	अपर आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अपर/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, काशीपुर जोन, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखा परीक्षा)-उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

व0लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र